Ds(S)

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

दिनांक:– 24.01.13

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14326/979

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत नोखा के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 18/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

24.01.13

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

नगर पंचायत नोखा
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–18/12–13
(अवधि– 2008–09 से 2010–11 तक)

1. प्रस्तावना

नोखा नगर पंचायत के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं की नमूना जॉच प्रधान महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 23.03.2012 से 31.03.2012 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

अध्यक्ष		
कम सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमति हुसना बानो	1.04.2008 से 31.03.2011
उपाध्यक्ष		
कम सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री पंकज कुमार	1.04.2008 से 31.03.2011
कार्यपालक पदाधिकारी		
कम सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री रविन्द्र राम	01.04.2008 से 10.04.2010
2	श्री विनय कुमार	10.04.2010 से 31.03.2011

3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र

अंकेक्षण में जॉच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किए गए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– II में दी गयी है।

4. पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की लम्बित कंडिकाओं को अनुपालन नहीं किया गया था। लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन नही किये जाने से लेखा परीक्षा का उदेश्य निष्फल हो जाता है।

अतः नगर पंचायत प्रशासन से अनुरोध किया जाता है कि पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन यथाशीघ्र लेखा परीक्षा कार्यालय को समर्पित किया जाय।

5. आंतरिक लेखा परीक्षा

नगर पंचायत नोखा के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में यह देखा गया कि आंतरिक लेखा परीक्षा का प्रावधान नही किया गया था।

बिहार नगपालिका लेखा नियम 1928 के नियम 20,64 तथा 66 में यह व्यवस्था की गई है कि कार्यपालक पदाधिकारी या उनकें द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर आंतरिक जॉच की जा सकेगी। परन्तु नगर पंचायत के अभिलेखों के जॉच के कम में यह पाया गया कि किसी भी स्तर पर कोई आंतरिक जॉच नही की गई थी।

अतः नगर पंचायत के प्राधिकारी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि नियमित रूप से आंतरिक जॉच की व्यवस्था की जाय ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को दूर किया जा सके।

इस विषय में कहा गया कि भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।

6. महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धि

नगर पंचायत नोखा के अंकेक्षण के दौरान निम्न अंकेक्षण उपलब्धि पाया गया

क0 सं0	कंडिका सं0	विवरण	राशि(₹)
1	11	प्रशासनिक भवन अनुदान राशि	28.88 लाख
2	13	गृहकर का अधिरोपन कम नही किया जाना	—
3	16	संतापकारी एवं खतरनाक व्यवसाय से कम वसूली	0.60 लाख
4	17	बकाया मोबाईल टावर	2.00 लाख
5	19	सैरातों की बंदोबस्ती की सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण कम करने से राजस्व हानि	0.25 लाख
6	21	एकल निविदा की अनियमित स्वीकृति	4.83 लाख
7	22	अनियमित भुगतान	0.20 लाख
8	23	सफाई यंत्रों के कय में अनियमितताएँ	6.60 लाख
9	24	सोलर लाईट के कय में अनियमितता	3.46 लाख

7(क) अधिदृश्य

नगर पंचायत, राज्य सरकार से विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्राप्त अनुदान तथा स्वयं के आय स्रोतों से वित्त संपोषित था।

लेखा परीक्षा अवधि हेतु नगर पंचायत द्वारा मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखे तैयार नही किया गया था जिसके कारण आय–व्यय की वास्तविक स्थिति ज्ञात नही की जा सकी तथापि विभिन्न सहायक रोकड़ बहियों के आधार पर आय–व्यय का वर्षवार संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार था:–

क्र0 सं0	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11
1	अर्थशेष (पूर्व प्रतिवेदन के आधार पर)	9015080.87	13141129.87	14902626.87
2	प्राप्ति			
(i)	सरकारी अनुदान	6304231.00	4892730.00	5262080.00
(ii)	स्वयं के स्रोतो से आय एवं विविध प्राप्ति	1306128.00	1543379.00	2275929.00
3	कुल प्राप्ति (i+ii)	7610359.00	6436109.00	7538009.00
4	कुल योग	16625439.87	19577238.87	22440635.87
5	व्यय			
(i)	विभिन्न योजनाओं पर	2879828.00	3604591.00	2613801.00
(ii)	स्थापना व्यय	604482.00	1070021.00	1846605.00
6	कुल व्यय(i+ii)	3484310.00	4674612.00	4460406.00
7	अंतशेष	13141129.87	14902626.87	17980229.87

लेखा परीक्षा अभ्युक्ति

(i) रोकड़ बही का संधारण बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के अनुरूप नही किया गया था। मासिक त्रैमासिक एवं वार्षिक जोड़ अग्रेणित नहीं की गई थी। शीर्ष (प्राप्ति एवं व्ययों) को अंकित नही किया गया।

(ii) राशियों को एक खाते से दूसरे खाते में अंतरण कर प्राप्ति एवं व्यय दोनों में पुनः शामिल किया गया था यथा: प्रशासनिक व्यय की रोकड़बही के पृष्ठ सं0 24 पर दर्ज द्वादश वित्त आयोग मद से प्राप्त राशि ₹844846.00 को पुनः दिनांक 23.07.2010 (पृष्ठ सं0 28 पर) को चेक सं0 376054 द्वारा द्वादश वित्त आयोग हेतु संधारित खाते में अंतरण किया गया था।

(iii) बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के प्रावधान के अनुसार नगर पंचायत में लेखा का संधारण नगर पंचायत के लेखापाल द्वारा किया जाना था परन्तु अभिलेखों की जॉच यथा सहायक रोकड़बही सामान्य रोकड़बही, चेकपंजी आदि से ज्ञात हुआ कि उक्त अभिलेखों का संधारण प्रखण्ड में पदस्थापित उर्दू अनुवादक द्वारा किया जा रहा था जबकि नगर पंचायत में लेखापाल पदस्थापित है। अभिलेखों का संधारण प्रखण्ड कर्मी द्वारा कराये जाने हेतु निर्गत, सक्षम प्राधिकारी का आदेश अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(ख) अन्तिम अवशेष

दिनांक 31.03.2011 को विभिन्न बैंक खातों में अवशेष की स्थिति:

क्रम सं0	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	11735874202	स्टेट बैंक नोखा	2435694.74
2	11735874213	स्टेट बैंक नोखा	2448543.48
3	11735874199	स्टेट बैंक नोखा	24277.55
4	30615243273	स्टेट बैंक नोखा	83283.00
5	30615236719	स्टेट बैंक नोखा	588926.00
6	31597179010	स्टेट बैंक नोखा	900000.00
7	84114255	बैक ऑफ बडौदा नोखा	217963.00
8	65111509	बैक ऑफ बडौदा नोखा	1228586.00
9	20018185	बैक ऑफ बडौदा नोखा	15993.00
10	61110911	बैक ऑफ बडौदा नोखा	1173249.00
11	22640	बैक ऑफ बडौदा नोखा	2181543.00
12	63111059	पंजाब नेशनल बैंक	3254333.00
13	MBGB नोखा	A/c 6328	131027.00
14	MBGB नोखा	A/c 9016	1318397.00
15	15436	पंजाब नेशनल बैंक	22361.00
16	10008773	पंजाब नेशनल बैंक	3847052.00
17	8156	पंजाब नेशनल बैंक	501.00
		कुल	19871729.77

दिनांक 31.03.2011 को शीर्षवार अवशेष राशि (रोकड़ बही के आधार पर)

1	नगर विकास	42645.95
2	प्रशासनिक व्यय	3406552.99
3	सुलभ शैचालय	1228586.00
4	लेन सब्सीडी	2740543.48
5	वेज इम्प्ययायमेन्ट	3384288.55
6	एकादश वित्त आयोग	288524.00
7	रा0 ज0 ब0 वि0 कार्यक्रम	131027.00
8	द्वादश वित्त आयोग	18766.00
9	बी0 आर0 जी0 एफ0	3847052.00
10	नाला निर्माण	588926.00
11	पार्षदो का भत्ता	83283.00
12	पोखर/धाट का निर्माण	2181543.00
13	मु0 न0 वि0 योजना	22361.00
14	तेरहवी वित्त आयोग	900000.00
15	कुल	20721932.97

लेखा परीक्षा टिप्पणी

(i) सा0 रोकड़बही मे दर्ज दिनांक 31.03.11 को विभिन्न बैंक खातों मे अवशेष कुल ₹19871729.77 दर्शायी गयी थी जबकि रोकड़बहियों के आधार पर अन्तशेष ₹17980229.87 थी इस प्रकार बैंक व रोकड़बही अवशेष में अन्तर ₹1891499.90 था। उक्त अंतर का समाधान विवरणी एवं संबंधित बैंक खाताओं का पासबुक अगले लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

(ii) सा0 रोकड़बही मे दर्ज विभिन्न सं0 रोकड़बहियों के आधार पर कुल अवशेष (दिनांक 31.03.2011) को ₹20721932.97 था परन्तु सहायक रोकड़बहियों के अनुसार अवशेष ₹17980229.87 की गणना होती है जिसेक फलस्वरूप अन्तर ₹2741703.10 होने का कारण स्पष्ट किया जाय।

102

8 बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 82 में वर्णित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक अगामी वर्ष के लिए नगरपालिका अनुसूची सहित प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को बजट–प्राक्कलन तैयार किया जायेगा जिसे 15 मार्च तक आवश्यक संशोधनों सहित अंगीकृत किया जाएगा। अंगीकृत बजट–प्राक्कलन राज्य–सरकार (स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय उप निदेशक) को प्रस्तुत किया जाएगा।

नगर पंचायत नोखा द्वारा लेखा–परीक्षा अवधि में वर्ष 2008–09 का बजट–प्राक्कलन तैयार किया गया था। बजट–प्राक्कलन एवं वास्तविक आय–व्यय (रोकड़बही के आधार पर) की स्थिति निम्नलिखित थी:–

विवरण	राशि (₹)
आय मद	
प्राक्कलित आय	17944125.00
वास्तविक	7610359.00
अंतर (प्रतिशत में)	58%
व्यय मद	
प्राक्कलित व्यय	17690895.00
वास्तविक व्यय	3484310.00
अंतर (प्रतिशत में)	80%

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय–व्यय में बहुत अधिक अंतर था जो स्वीकृति योग्य सीमा में नही था। उक्त बजट प्राक्कलन तैयार एवं अनुमोदित प्रस्ताव सं0 6 सामान्य बैठक दिनांक 04.05.2008 द्वारा सर्वसम्मति से पारित किये जाने के उपरांत किया गया था। बजट प्राक्कलन की प्रति नगर पंचायत के पत्रांक 153 दिनांक 10.05.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन बिलंब से तैयार किया गया था।

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिए बजट–प्राक्कलन तैयान नहीं किया गया था।

बिहार नगरपालिका अधिनियत 2007 की धारा 75 में वर्णित प्रावधान के अनुसार नगरपालिका निधि से किसी राशि के भुगतान अथवा व्यय मूलक कोई भी संविदा करने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसा व्यय वर्तमान बजट से आच्छादित न हो तथा इसके लिए आय व्ययक में निधि उपलब्ध नही हो। उक्त प्रावधान के विपरित नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में बिना बजट प्राक्कलन तैयार एवं पारित किए अनियमित रूप से नगरपालिका निधि से विभिन्न मदों में भुगतान किया गया।

बजट नही तैयार किये जाने का कारण लेखा–परीक्षा को बतलाया जाय।

इसके जबाब में कहा गया कि बजट वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 को तैयार कर विभाग को भेजा गया है उसे अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा।

9. सरकारी अनुदान

नगर पंचायत द्वारा विहित प्रपत्र में सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप अनुदानों की वास्तविक स्थिति यथा वर्ष के प्रारंभ में अनुदानवार शेष राशि, वर्ष में प्राप्त एवं व्यय की गयी राशि तथा अंतशेष ज्ञात नही किया जा सका आवंटन पंजी एवं सहायक रोकड़बहियों के अनुसार वर्षवार नगर पंचायत नोखा को प्राप्त अनुदान की स्थिति निम्नलिखित थी।

2008–09

क0 सं0	तिथि	राशि	पत्रांक/विभाग एवं उद्देश्य	
1	08.05.08	452255.00	नगर वि0 एवं आ0 वि0 पत्रांक 1938 दिनांक 17.04.08 बैंक ड्राफट सं0 227937 दिनांक 08.04.08	वित्त आयोग
2	30.03.09	298013.00	पत्रांक 5945 दिनांक 11.12.08 बैक डाफट सं0 23134 दिनांक 28.03.09	वेतन मद में
3	07.05.08	351500.00	पत्रांक 1948 दिनांक 17.04.08 बैक डाफट सं0 227598 दिनांक 04.04.08	मैचिंग ग्रान्ट
4	17.07.08	45000.00	जिला कार्यालय प्रत्रांक 159 दिनांक 03.05.08 चेक सं0 301744 दिनांक 02.05.08	कबीर अन्त्येष्ठि
5	02.12.08	1203893.00	मु0 कार्य0 पदा0 जिला परिषद सासाराम के पत्रांक 1198 दिनांक 30.08.08 चे0 सं0 172845 दिनांक 14.10.08	बी0 आर0 जी0 एफ
6	19.12.08	69000.00	नगर वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 4535 दिनांक 29.08.08	पार्षदों का मासिक भत्ता
7	30.03.09	2064570.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 05 दिनांक 09.02.09 बैंक डाफट सं0 101415 दिनांक 28.03.09	पोखर धाट जलाशय पार्क निमार्ण, जीर्णोद्यार
8	19.12.08	1820000.00	नि0 वि0 एवं आ0 वि0 पत्रांक 3774 दिनांक 14.07.08	नाला निर्माण
	कुल	6304231.00		

120

2009–10

(i)	03.07.09	2119045.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 341 दिनांक 22.05.09 बैक डाफट सं0 347138 दिनांक 18.03.09	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
(ii)	03.07.09	90000.00	जि0 पदा0 के पत्रांक 67 दिनांक 20.06.09 चेक सं0 344750 दिनांक 26.06.09	कबीर अन्येष्ठि योजना
(iii)	04.02.10	172500.00	जि0 पदा0 पत्रांक 13 दिनांक 14.01.10 चेक सं0 363781 दिनांक 14.01.10	कबीर अन्येष्ठि
(iv)	18.08.09	893820.00	मु0 कार्य पदा0 के पत्रांक 201 दिनांक 5.06.09 चेक सं0 470472 दिनांक 06.07.09	बी0 आर0 जी0 एफ
(v)	18.08.09	312130.00	मु0 कार्य0 पदा0 के पत्रांक 203 दिनांक 05.06.09 चेक सं0 470908 दिनांक 18.07.09	बी0 आर0 जी0 एफ0
(vi)	04.02.10	1305235.00	मु0 कार्य0 पदा0 के पत्रांक 899 दिनांक 1.01.10 बी0 डी0 सं0 603851/दिनांक 25.01.10	बी0 आर0 जी0 एफ0
	कुल योग	4892730.00		

2010-11

(i)	08.06.10	422423.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 28 दिनांक–17.03.10	द्वादश वित्त आयोग
(ii)	08.06.10	422423.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 41 दिनांक–25.03.10	द्वादश वित्त आयोग
(iii)	13.05.10	384464.000	निदेशक न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 16 दिनांक–16.03.10	मैचिग ग्राण्ट
(iv)	31.03.11	757086.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0 बिहार पटना पत्रांक सं0 166 दिनांक 26.03.11	मैचिगं ग्राण्ट
(v)	08.06.11	45000.00	जि0 पदा0 के पत्रांक 448 दिनांक 12.05.10 चेक सं0 375848 दिनांक 19.05.10	कबीर अन्येष्ठि योजना
(vi)	23.07.11	172500.00	जिला पदा0 के पत्रांक 619 दिनांक 15.06.10 चेक सं0 214850.00 दिनांक 16.06.10	–वही–
(vii)	03.01.11	347497.00	मु0 कार्य पदा0 द्वारा बैंक डाफट 665750 दिनांक 03.12.2011	बी0 आर0 जी0 एफ0
(viii)	03.01.11	726052.00	मु0 कार्य0 पदा0 द्वारा बैंक डाफट 665894 दिनांक 24.12.10	पाषदों का मासिक भत्ता

(x)	09.08.10	650000.00	जि0 पदा0 से चेक सं0 727834 दिनांक 03.07.10	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना मद
(xi)	03.01.11	140000.00	उपसचिव न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 6243 दिनांक 03.11.10 बैंक डाफट 708451 दिनांक 02.11.10	नगर प्रबंधक मानदेय
(xii)	08.02.11	156635.00	जि0 पदा0 के पत्रांक 55 दिनांक 31.01.11 चेक सं0 403917 दिनांक 07.02.11	जनगणना आवंटन
(xiii)	09.03.11	900000.00	सरकार के विशेष सचिव नगर वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 95 दिनांक 17.08.10	तेरहरी वित्त आयोग
(xiv)	09.03.11	69000.00	सरकार के न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 4535 दिनांक 29.08.08	पार्षदो का मासिक भत्ता
	कुल	5262080.00		

लेखा परीक्षा टिप्पणी

(1) सरकारी अनुदान पंजी का विहित प्रपत्र में संधारण किया जाए

(2) सहायक रोकड़बहियों के अनुसार निम्नलिखित विशिष्ट अनुदान अव्यवहृत पड़ी थी।

कम सं0	विवरण	राशि (₹)
(i)	पत्रांक 1635/न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 17.04.07 बैंक डाफट सं0 090753 दिनांक 11.04.07 से प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त	2887875.00
(ii)	नगर विकास विभाग से प्राप्त अनुदान की अवशेष राशि	42645.00
(iii)	सुलभ शौचालय मद की राशि	1228586.00
(iv)	एकादश वित्त आयोग	288524.00
(v)	पोखर धाट के निर्माण हेतु	2181543.00
(vi)	एन0 एस0 डी0 पी0	131027.00
(vii)	नगर प्रबंधक मानदेय	140000.00

अनुदान का शीध्र उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्वीकृति प्राधिकार को भेजा जाए।

(3) सरकारी अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की संचिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी जाए।

10. द्वादश वित्त आयोग अनुदान राशि का अवरोधन (₹12.72 लाख)

12 वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आवंटित की गई राशि के व्यय के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार राशि का व्यय नियमानुसार निम्न प्रकार से किया जाना है–

(1)(क) स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर व्यय की जानी है जिसके अन्तर्गत अपशिष्टों का संग्रहण, पृथ्कीकरण और परिवहन इत्यादि विविध कार्य सम्मिलित होना है।

शेष 50 प्रतिशत राशि में से निम्न कार्यो पर व्यय किया जाएगा।

(2) (क) नगर प्रबंधकों की क्षमता वृद्वि/सृजन–1 प्रतिशत

(ख) ई– गर्वनेन्स (न्यूनतम एक प्रतिशत अधिकतम तीन प्रतिशत) इसके अन्तर्गत राशि का व्यय द्वैत प्रणाली द्वारा लेखा संधारण/मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण, डाटा प्रणाली का विकास आदि।

(ग) शेष राशि नागरिक सुविधाओं/सेवाओं को बनाए रखने से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों पर व्यय किया जाना हैं इसके अन्तर्गत पेय जलापूर्त्ति/पथ निर्माण/नाली निर्माण/ स्ट्रीट लाइटिंग इत्यादि विविध कार्य किया जाना है।

द्वादश वित्त आयोग के अन्तर्गत 2005–06 से 2009–10 तक प्राप्त अनुदान के व्यय की समीक्षा के क्रम में प्रेषित वर्षवार आय–व्यय की विवरणी (पत्र सं0 42 दिनांक 31.01.2011 नगर पंचायत नोखा) के अनुसार शीर्षवार अन्य वृहत राशि की स्थिति दिनांक 31.03.10 को निम्नलिखित थी–

कम सं0	शीर्ष	शीर्षवार अवशेष दिनांक 31.03.2010 को	वर्ष 2010–11 में व्यय	दिनांक 31.03.2011 की शीर्षवार अवशेष
(i)	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन(50%)	553490.00	6544.00	546946.00
(ii)	नागरिक सुविधा (46%)	632022.00	44073.00	587949.00
(iii)	ई गर्वनेन्स (3%)	102698.00	––	102698.00
(iv)	नगर प्रबंधकों की क्षमता वृद्धि (1%)	34232.00	––	34232.00
				1271825.00

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि द्वादश वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से कुल ₹1271825.00 अव्यवहृत पड़ी थी। शीर्ष ई गर्वनेन्स एवं नगर प्रबंधकों की क्षमता वृद्वि के अन्तर्गत व्यय शून्य था। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत व्यय

अनियमित रूप से डीजल क्रय पर किया गया था जबकि इसके अन्तर्गत ठोस अवशिष्टों का संग्रहण, पृथकीकरण एवं परिवहन आदि कार्य सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा आपत्ति के उपरान्त उत्तर दिया गया कि कूड़ा उठाकर फेकने हेतु टैक्टर में डीजल के आपूर्त्ति की गई है। उत्तर असंतोषप्रद था। अतः सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त कर बारहवें वित्त आयोग अनुदान की अवशेष राशि का उपयोग करे या संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को वापस करें।

11 प्रशासनिक भवन अनुदान राशि का अवरोधन (₹28.88 लाख)

वित्तीय वर्ष 2006–07 में नगर पंचायत नोखा को प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु 75% अनुदान के रूप में कुल ₹2887875.00 अनुदान की स्वीकृति बिहार सरकार नगर विकास विभाग पत्रांक संख्या 1398 दिनांक 30.03.2007 द्वारा की गयी थी एवं सरकारी पत्रांक 1635 दिनांक 17.04.2007 (ड्राफट संख्या 090753 दिनांक 11.04.2007) द्वारा राशि प्राप्त हुआ था। लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद लेखा परीक्षा किये जाने तक भवन का निर्माण कार्य आरंभ नही किया गया था। सरकारी अनुदान का मकसद समय सीमा के अन्दर कार्य का कियान्वयण करवाना होता है। अनुदान की राशि के खर्च न होने से अनुदान देने/पाने का मकसद पूरा नही हो पाता है।

चूँकि मानक प्राक्कलन 5 वर्ष पुराना था तथा सामाग्री/मजदूरी के दर में मुदास्फीति के कारण वृद्वि होने से भवन निर्माण की लागत अधिक हो गयी होगी।

इस आपत्ति के संदर्भ में कहा गया कि नगर पंचायत, नोखा का अपना भूमि नही है। इस बाबत न0 वि0 व0 से निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया गया है कि बिहार सरकार के आय/खास भूमि पर बोर्ड निर्माण कराने में सक्षम है अथवा बोर्ड न0 प0 के लिए भूमि क्रय कर सकती है ताकि भवन का निर्माण अतिशीध्र कराया जा सके।

अतः प्रशासनिक भवन हेतु अनुदान राशि का उपयोग करने हेतु सार्थक कदम उठाया जाय या राशि को संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को वापस किया जाय।

12 स्वीकृत बल एवं कार्यबल

बिहार सरकार नगर विकास विभाग के पत्र संख्या 105/76 14545/न0 वि0 वि0 पटना, दिनांक 20 अक्टूबर 1985 द्वारा नोखा नगर पंचायत सहित कुल 16 अधिसूचित क्षेत्र समितियॉ के लिए प्रति अ0 क्षे0 स0 निम्नांकित के सजृन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

1	प्रधान लिपिक सह लेखापाल	1पद
2	टैक्स दारोगा	1पद
3	कार्यालय आदेशापाल	1 पद
4	सफाई जमादार	1 पद
5	मेहतर/मेहतरानी	5 पद
	कुल	9 पद

पत्र में अंकित शर्त्त के अनुसार उक्त पदों को प्रशासी विभाग की सहमति प्राप्त कर वर्षवार अवधि विस्तार किया जाना था। तदनुसार उप निदेशक–सह–निदेशक नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1026/2000/5670/न0 वि0 एवं आ0 वि0 पटना दिनांक 21.11.08 द्वारा नगर पंचायत नोखा में 9(नौ) सृजित पदो के वर्ष 1986 से वर्ष 2008–09 तक के लिए अवधि विस्तार को घटनोतर स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वीकृत बल के विरूद्व कार्यरत बल निम्न प्रकार थे–

कम सं0	नाम सर्वश्री	पदनाम	दैनिक परिश्रमिक पर	अनुबंध के आधार पर	नियमित वेतनमान पर
01	संजय कुमार चौधरी	प्रधान लिपिक सह लेखापाल	01.04.2003	01.04.06 से @3000.00	1320–2040
02	सत्यनारायण प्रसाद	कर दारोगा	01.09.2004	01.04.06 से @3000.00	975–1540
03	कृष्ण मुरारी राम	सफाई जमादार	19.09.2004 से	2000.00	800–1150
04	धन जी राम	मेहत्तर	01.10.05 से	1500.00	775–1025
05	रमेश राम	मेहत्तर	–वही–	1500.00	775–1025
06	जय कुमार राम	मेहत्तर	01.10.05 से	1500.00	775–1025
07	छोटे लाल राम	मेहत्तर	01.10.05 से	1500.00	775–1025
08	राजेश राम	मेहत्तर	01.10.05 से	1500.00	775–1025

नगर पंचायत की बैठक दिनांक 21.09.2006 के प्रस्ताव संख्या 9 द्वारा अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को इनकी योग्यतानुसार सृजित पदों पर नियमित करने हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया एवं उक्त आशय के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 02 दिनांक 02.01.2007 द्वारा सरकार से इन कर्मियों को अनुबंध के आधार पर नियमित करने हेतु स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक

28–01/08/5945 पटना दिनांक 11.12.2008 द्वारा नगर पंचायत, नोखा में स्वीकृत बल 9 कार्यरत बल 9 हेतु वर्ष 2008–09 की अवधि के लिए वेतन अनुदान मद में ₹298013.00 निर्गत किये गये।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

(1) स्वीकृत बल एवं कार्यबल की जॉच से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत में स्वीकृत बल 9 के विरूद्व कार्यरत बल लेखा परीक्षा अवधि में 8 था एवं आदेशापाल का एक पद रिक्त थां नगर विकास एवं आवास विभाग से वेतन मद में प्राप्त आवंटन की जॉच से ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा एक रिक्त पद के विरूद्व आवंटन निर्गत किया गया फलस्वरूप अधिक आवंटन निर्गत किया गया जिसकी गणना इस प्रकार है।

रिक्त पद आदेशपाल वेतनमान (775–1025)

वर्ष का कुल वेतन	मंगाई भत्ता	चि0 भत्ता	कुल
9300.00	@ 295%=27435	50%=600	37335.00

अधिक आंटित अनुदान (80%) =29868.00

इस प्रकार विभाग द्वारा ₹29868.00 अधिक आवंटन किया गया। वेतन अनुदान हेतु प्रेषित मॉग पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाए।

(2) अस्थायी रूप से सृजित पदों की वर्ष 2008–09 के पश्चात अवधि विस्तार की स्थिति स्पष्ट की जाय।

(3) बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धार 37 (9) के अनुसार नगर पालिका के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी के ऐसे पदों जिनपर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती करना अपेक्षित न हो पर भर्ती स्थानीय नियोजनालय के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य पद्धति से की जाएगी जैसा की राज्य सरकार समय–समय पर आधारित करे। उक्त प्रावधान का पालन नहीं किया गयां। दिनांक 01.04.08 से की गयी नियम टिकरण एवं वेतनमान में भुगतान करने हेतु वांछित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त आदेश संबंधी संचिका उपलब्ध नहीं करायी गई। इस संबंध में बताया गया कि विभाग से समायोजन कराने की कारवाई की जाएगी, जिसकी सूचना भेजी जाएगी। कार्यालय के पत्रांक 334 दिनांक 28.09.08 के द्वारा विभाग को भेजी गई है।

13. गृहकर का अधिकरोपन कम/नही किया जाना

नगर पंचायत, नोखा का गठन वर्ष 1986 में हुआ था। परन्तु लेखा परीक्षा किये जाने तक नगर पंचायत द्वारा मात्र 1.54 होल्डिंगों में गृह कर का निर्धारण किया गया था जबकि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 137 से 144 तक में विभिन्न करों को लगाये जाने का प्रावधान है। करारोपन कम किये जाने/नही किये जाने के कारण नगर पंचायत को प्रतिवर्ष राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है।

94

लेखा परीक्षा टिप्पणीः

(i) नाम वार्ड सं0, गृह कमांक एवं अभिलेख संख्या से संबंधित पंजी के जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत नोखा में कुल 15 वार्ड है जिससे होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किया गया था। वार्ड सं0 1 में 261, वार्ड सं0 2 में 233, वार्ड सं0 3 में 221, वार्ड सं0 4 में 142, वार्ड सं0 5 से 196, वार्ड सं0 6 में 221, वार्ड सं0 7 में 169, वार्ड सं0 8 में 273, वार्ड सं0 9 में 201, वार्ड सं0 10 में 211, वार्ड सं0 11 में 231, वार्ड सं0 12 में 257, वार्ड सं0 13 में 277, वार्ड सं0 14 में 268 तथा वार्ड संख्या 15 में 204 होल्डिंग कर देने योगय थे। तदुपरान्त अन्य 5 होल्डिंगों की प्रविष्टि की गयी थी। इस प्रकार कुल 3370 होल्डिंग के विरूद्व मात्र 52 होल्डिगो से वित्तीय वर्ष 2010–11 तक गृह कर की वसूली की गई थी जो कुल निर्धारण का मात्र 1.54% है।

(ii) कुल 15 वार्ड के विरूद्व मात्र 10 वार्डो से ही होल्डिग टैक्स वसुल किया गया था। अर्थात वार्ड सं0 1,8,13,14 और 15 में होल्डिग टैक्स की वसूली प्रारंभ नहीं की गयी थी।

(iii) सरकार के विशेष प्लान Amnestry Cum Penalty Scheme जिसका लाभ 28.02.2010 तक लिया जा सकता था, के अंतर्गत भी कोई राशि संग्रहित नहीं किया गया था अर्थात इस योजना का लाभ भी होल्डिग कर देने वालों तक नहीं पहुँचा। जबकि इस योजना के द्वारा नगर पंचायत कर की वसूली कर में वृद्वि के साथ ही होल्डिग टैक्स देने वालो को राहत पहुँचा सकती थी।

(iv) नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –4 न(2) –106/96/833, पटना दिनांक 23 जून 2005 के द्वारा नगर पंचायत नोखा को ₹2233800.00 का वार्षिक लक्ष्य गृहकर के रूप से निर्धारित किया गया था। निर्धारित करों को एक निश्चित अंतराल पर पुनरीक्षित करना भी आवश्यक था। परन्तु सरकार द्वारा बार–बार अनुरोध के बाद भी वर्ष 2008–09 तक वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण नही किया गया था। वर्ष 2009–10 के लिए वार्षिक लक्ष्य ₹78436.00 निर्धारित किया गया वही निर्धारण पुनः 2010–11 के लिए था। जो सरकार के पूर्व के निर्धारण से बहुत ही कम मात्र 3.51% था।

(v) नगर पंचायत नोखा बोर्ड का दिनांक 28.10.05 के पारित प्रस्ताव के आलोक में सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके अनुसार प्रधान सड़क पर अवस्थित होल्डिंग, मुख्य सड़क पर अवस्थित होल्डिंग अन्य सड़क पर अवस्थित के लिए दर निर्धारित किया था। परन्तु समान/समतुल्य श्रेणी के अन्य नगर पंचायत उदाहरणार्थ कॉटी और मनेर के बोर्ड द्वारा समान श्रेणी के लिए ही कर निर्धारण नोखा नगर पंचायत से बहुत अधिक था।

(vi) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –4 (न) क0–01/2005/3444 दिनांक 19.07.07 के अनुसार गृहकर के रूप में वार्षिक किराया मूल्य का 9% राशि वसुलने तथा प्रत्येक पॉच वर्ष पर इसे पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया जा चुका था। परन्तु नगर पंचायत नोखा द्वारा मात्र 5% गृहकर ही वसुली की जा रही थी।

(vii) नगर पंचायत नोखा बोर्ड का दिनांक 28.10.05 के पारित प्रस्ताव पर स्वीकृति सरकार द्वारा दिनांक 08.03.06 को दे दिया गया था तथा टैक्स पुनरीक्षण की प्रकिया अविलंब प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन फिर भी टैक्स की वसुल 25.01.10 से प्रारम्भ किया गया था। वित्तीय वर्ष 2009–10 और 2010–11 में मात्र कमशः 1.89% और 1.19% का वसुली किया गया।

अतः नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान विशष रूप से इस ओर आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि करो के निर्धारण हेतु उचित कदम उठायी जाये ताकि नगर पंचायत को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। लेखापरीक्षा आपति जबाब में कहा गया कि होल्डिंग टैक्स वसूलने की कारवाई विशेष रूप से की जा रही है।

14. गृह कर संग्रहण में अनियमितताएँ

H- रसीद फार्म संबंधित संचिका एवं पंजी (नाम, वार्ड स0, गृह कमांक) की जॉच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः–

(i) वित्तीय वर्ष 2010–11 तक एच रसीद मात्र संख्या 01 से 52 तक निर्गत किया गया था जिसमे से रसीद संख्या 19 से 22 तक कर संग्रहकर्ता का हस्ताक्षर तथा तिथि दर्ज नहीं था।

(ii) रजिस्टर (पंजी) के अभाव/प्रस्तुत न करने के कारण यह पता नही लगाया जा सकता कि एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि वसुल करनी थी और उस वित्तीय वर्ष के विरूद्व कितनी राशि वसुली गयी थी। साथ ही यह भी ज्ञात नही हो सका कि कर देने वाले ने किस वर्ष का कर जमा किया था तथा किस वर्ष से बकाया था।

(iii) बिहार सरकार के पत्रांक 4 (न)क –4/2009–45 दिनांक 05.01.10 में स्पष्ट था कि 31 जनवरी 2010 के पश्चात बकाये कर पर 2% मासिक दण्ड अधिरोपित करना था। परन्तु कर संग्राहकों द्वारा उसके उपरान्त भी 2% मासिक दण्ड अधिकरोपति नहीं किया गया था।

इस अनियमितताओं को दूर कर अगले लेखा परीक्षा को दिखलाया जाय।

15. शिक्षा सेस तथा स्वास्थ्य सेस जमा नहीं

नगर पंचायत नोखा द्वारा शिक्षा सेस एंव स्वास्थ्य सेस की राशि एच–रसीद संख्या 01 से 52 के द्वारा कुल ₹ 1210.00 वसूल की गई थी। परन्तु वसूली गई रकम से 10% की कटौती कर शेष 90% राशि को राज्य के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा नही किया गया था। जबकि इस आशय से संबंधित अनुरोध सरकार के उप–सचिव –सह–निदेशक नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्र दिनांक 25.09.2008 के द्वारा किया जा चुका था।

अतः 1210x90% (10% संग्रह शुल्क) = ₹1089.00 को संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय तथा जमा का रसीद अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

16 संतापकारी एवं खतरनाक व्यवसाय से वसूली/कम वसूली

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर पंचायत नोखा के अन्तर्गत कुल चालीस (40) चावल/आटा आदि मीलों से अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान कुल ₹47750.00 की ही वसूली की गयी थी। अनुज्ञप्ति शुल्क की शेष राशि ₹60250.00 लेखा परीक्षा किये जाने तक बकाया थी।

(विवरणी परिशिष्ट–III में संलग्न)

नगर पंचायत में वर्ष 2008–09 से 2010–11 के बीच मिलो की संख्या में वृद्वि/कमी का विवरण भी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं था।

इस आपत्ति के आलोक मे उत्तर दिया गया कि शेष बची हुई राशि ₹60250.00 को प्रशासनिक कार्रवाई कर वसूली की जाएगी तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।

17. बकाया मोबाईल टावर शुल्क ₹2 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5245 दिनांक 26.11.2007 तथा पत्रांक 1045 पटना दिनांक 04.03. 2008 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों का शुल्क ₹2000.00 प्रति मीटर उॅचाई की दर से प्रति वर्ष वसूली की जानी थी।

पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा अधिसूचित बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार इस नियम के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावर को नगर पंचायत, नोखा के अधीन पंजीकरण फीस ₹30000.00 प्रति टॉवर जमा करना होगा तथा नवीकरण फीस ₹8000.00 प्रति वर्ष प्रति टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जायेगा।

लेखापरीक्षा में उपलब्ध विवरणी के अनुसार नगर पंचायत नोखा क्षेत्र के अधीन कुल 8 आठ टावर स्थापित/कार्यरत थे जिसमें 4 संचार टॉवर द्वारा ₹360000.00 पूर्व में जमा किया गया था लेकिन शेष 4 स्थापित टावरों द्वारा कोई राशि नगर पंचायत में जमा नही करायी गयी थी इस नियम के प्रभावी होने के पश्चात उनके विरूद्व वर्ष 10–11 तक कुल मॉग (पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क सहित) की राशि₹2 लाख थी।

पस्तुत विवरणी से यह ज्ञात नही हो पाया कि टावरों की स्थापना से पूर्व नगर पंचायत से अनुमति कब ली गयी या नही ली गयी।

इस आपत्ति के संदर्भ में कहा गया कि पत्र अभी फरवरी 2012 में ही प्राप्त हुआ है। नगर पंचायत द्वारा टावर कम्पनियों को नोटिस कर वसूली की जा रही है।

अतः अपंजीकृत टावरों को पंजीकृत करने एवं बकाया शुल्क की राशि ₹200000.00 की वसूली हेतु कारगार कदम उठाया जाय।

18 बन्दोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नही करने से मुद्रांक शुल्क की वसूली नही (₹0.44 लाख)

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 1920/नि0/मु0 स0 दिनांक 14.08.2002 एवं सचिव सह निबंधन महानिरीक्षक बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 में दिये गये निर्देशो के अनुसार बस पड़ाव/हाट बाजार/घाट/जलकर/मेला स्थल/बालू घाट /दुकान/होल्डिंग/मार्केटिंग शेडस इत्यादि की बन्दोबस्ती यदि एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए की जाती है तो बन्दोबस्ती करने से पूर्व बन्दोबस्ती की राशि पर 3% की दर से लेकर उसी पर बन्दोबस्ती की शर्ते लिखकर निर्गत किये जाने का प्रावधान था।

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लिए किये गये बन्दोबस्ती का एकरारनामा 3% मूल्य के स्टाम्प पेपर पर नही करने से बन्दोबस्तधारी से मुद्रांक शुल्क की वसूली नही की जा सकी थी। जिसका विवरण निम्न हैः–

क0 सं0	विवरण	तिथि	वर्ष	उच्चतम डाक बक्ता	बंदोबस्ती की राशि	देय मुद्रांक शुल्क 3%
1	टैक्सी स्टैण्ड	27.03.08	2008–09	मनोज कु0 चंदेश	251350.00	7540.00
2	टैक्सी स्टैण्ड	23.03.09	2009–10	अच्छेलाल सिंह	331500.00	9945.00
3	टैक्सी स्टैण्ड	25.03.10	2010–11	विपिन कुमार	365501.00	10965.00
4	टॉल टैक्स एवं टिन टिकट	24.03.08	2008–09	सुरेश प्रा0 चौधरी	145020.00	4350.00
5	टॉल टैक्स एवं टिन टिकट	23.03.09	2009–10	राजेश कु0 उर्फ माला सिंह	195100.00	5853.00
6	टॉल टैक्स एवं टिन टिकट	25.03.10	2010–11	सुरेश प्रा0 चौधरी	170513.00	5115.00
					कुल	43768.00

90

इस प्रकार कुल ₹43768.00 के मुद्रांक शुल्क के राजस्व की हानि राज्य सरकार को हुई। इस आपत्ति के संदर्भ कहा गया कि मुद्रांक शुल्क की राशि जमा करने की कारवाई की जा रही है, नहीं काटी गई राशि ₹43768.00 को संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जाएगा। अतः मुद्रांक शुल्क ₹43768.0 के सरकारी राजस्व की हानि की वसूली सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति(यों) से की जाय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाय।

19 सैरात की बन्दोबस्ती की सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण कम करने से राजस्व हानि (₹0.25 लाख)

सैरातों की नीलामी संबंधी संचिका के जॉच में पाया गया कि वर्ष 2009–10 में टॉलटैक्स/टीन टिकट की निलामी की राशि ₹195100.00 तथा सुरक्षित जमा राशि ₹154000.00 थी पुनः वर्ष 2010–11 में टॉलटैक्स/टिन टिकट की निलामी की राशि ₹170513.00 थी, जो कि पिछले वर्ष की निलामी की राशि से ₹24587.00 कम थी एवं इसकी सुरक्षित जमा राशि ₹169400.00 थी।

सैरातो की बन्दोबस्ती की सुरक्षित जमा राशि पिछले वर्ष की नीलामी राशि या पिछले तीन 03 साल के नीलामी राशि के औसत से कम नहीं होनी चाहिए। जबकि वर्ष 2010–11 में सुरक्षित जमा राशि पिछले वित्तिय वर्ष 2009–10 के निलामी राशि ₹195100.00 से कम ₹169400.00 यानि ₹25700.00 कम रखी गयी थी। सुरक्षित जमा राशि को कम रखने की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से ली गयी थी या नही, अंकेक्षण में नही दिखाया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के जबाब में कहा गया कि जानकारी के अभाव में गलती हो गयी है। इसे सुधार लिया गया है। भविष्य में इस प्रकार की पुनर्रावृति नही कि जायेगी। जबाब संतोषप्रद नही था अतः वर्ष 2010–11 में सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण कम किये जाने के कारण नगर पंचायत को ₹24587.00 (195100–170513) राजस्व की हानि हुई। उसकी वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों/अधिकारियों से की जाय।

20. योजनाओं का स्थितिः

नगर पंचायत नोखा द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि में कार्यानिव्त योजनाओं की स्थिति निम्नवत थी–

क0 सं0	वर्ष	मद	कार्यावन्वित योजना	योजना पूर्ण	योजना अपूर्ण	अपूर्ण योजना में व्यय	अपर्ण योजना की प्रा0 राशि
1	2008–09	नाला निर्माण	10	09	1	52807.00	140000.00
2	2009–10	नाला निर्माण	1	1	–	–	–
3	2010–11	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	4	4	–	–	–
4	2008–09	B.R. G.F	6	4	2	–	400000.00

5	2009–10	B.R. G.F	4	4	–	–	–
6	2009–10	12th FC	1	1	–	–	–
7	2010–11	12th FC	14	12	2	–	28000.00
		योग	40	35	5		

विस्ततृत विवरण परशिष्ट–VI

मद नाला निर्माण योजना वर्ष 2008–09 की अपूर्ण योजना संख्या –5/2008–09 हेतु ₹52507.00 भुगतान किया गया था। कार्य आरंभ हुए लगभग 4 वर्ष होने के बाबजूद कार्य अपूर्ण था। इस आपत्ति के संदर्भ में बताया गया कि ₹52507.00 का मापी पुस्त कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा प्रस्तुत कराया गया था। उक्त स्थल पर अधिक पानी जमाव से होने वाली असुविधा के कारण कार्य अभी तक अपूर्ण है। उत्तर अमान्य था।

अतः अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कर अगले लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

21 एकल निविदा की अनियमित स्वीकृति (₹4.83 लाख)

(क) योजना संख्या :– 02/09–10 (BRGF)

योजना का नामः– वार्ड सं0 6 में सुरेश चौधरी के घर से महेन्द्र चौधरी के घर तक पी0 सी0 सी0 सड़क निर्माण

प्राक्कलित राशिः– ₹242000.00

तकनीकि स्वीकृतिः– स0 अभियंता0 एन0 आर0 ई0 पी0 सासाराम

संवेदक का नामः– श्री संतोष कुमार

मापी पुस्त के अनुसार कार्य की मात्राः– ₹241230.00

(प्रथम व अंतिम मापी– 12.02.2011)

कार्यादेश की तिथिः– ज्ञापांक 311 दिनांक 30.12.10

कार्यपूर्ण करने की नियत तिथिः–28.02.2011

भुगतान की राशिः–₹241230.00

(ख) योजना संख्या :– 03/2009–10 (BRGF)

योजना का नामः– ग्राम भलुआही वार्ड सं0 7 में, नरोड़ से काशीनाथ गिरी तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण

स्रोत का नामः– बी0 आर0 जी0 एफ0

प्राक्कलित राशिः– 142700.00

तकनीकि स्वीकृतिः– सहायक अभियंता दिनांक 14.03.2010

संवेदक का नामः– श्री मुनिराज सिंह

मापी पुस्त की अनुसार कार्यः– ₹139288 (संचिका के अनुसार)

संवेदक को भुगतानः– ₹139288.00

कार्यादेशःज्ञापांक 310 दिनांक 30.12.10

कार्य पूर्ण करने की नियत तिथिः– 28.02.11

एकरारनामाः– अनुसूचित दर पर

(ग) योजना संख्या– 09/2008–09

योजना का नामः– वार्ड 14 में जीता चौधरी के दालान से ललन चौधरी के घर होते हुए गणेश चौधरी के दलान होते हुए नाली निर्माण

स्रोत का नामः– नगर वि0 एवं आवास विभाग से नाला निमार्ण मद में प्राप्त आवंटन

प्राक्कलित राशिः– ₹120000.00

तकनीकि स्वीकृतिः– सहायक अभियंता दिनांक 01.12.08

संवेदक का नामः– श्री मुनिराज सिंह

मापीपुस्त के अनुसार कार्यः– ₹102000.00

कार्यादेशः– ज्ञापांक 261/दिनांक 30.10.2009

कार्यपूर्ण करने की नियत तिथिः– 30.12.2009

एकरारनामाः– अनुसूचित दर से 15% कम पर

लेखा परीक्षा अभियुक्तिः–

(1) उपरोक्त योजनाओं के संचिका/अभिलेख नमूना जॉच से ज्ञात हुआ कि उक्त योजनाओं में निविदा आमंत्रित की गयी थी जिसमें एकमात्र निविदा प्राप्त हुई थी।

बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के अनुसार एकल प्राप्त निविदा की स्वीकृति निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर के उच्च प्राधिकारी द्वारा दी जानी है परन्तु एकल निविदा की स्वीकृति निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनियमित रूप से की गई। इस संबंध में स्थिति लेखापरीक्षा में स्पष्ट नही किया गया।

इसके जबाब में कहा गया कि सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा एकल निविदा का चयन करने कि कार्रवाई की गई है। अतः निविदा का चयन नियम विरूद्ध था अतः वस्तु स्थिति से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय तब तक कुल भुगतान राशि ₹482518.00 लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

22. अनियमित भुगतान (₹0.20 लाख)

योजना संख्याः– 02/2010–11

योजना का नामः– वार्ड संख्या 8 में ग्राम रधुनाथपुर अनु0 जाति मु0 में बबन धोबी के घर से लाल जी धोबी की ओर गली का पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण

स्रोता का नामः– मुख्यमंत्री नगर विकास योजना

प्राक्कलित राशिः– ₹456500.00

तकनीकि स्वीकृतिः– कार्यपालक अभियंता RWD Div. सासाराम दिनांक 15.04.2010

प्रशासनिक स्वीकृतिः– जिला पदाधिकारी, रोहतास दिनांक अंकित नहीं।

संवेदक का नामः– श्री संतोष कुमार

निवेदित करः– अनुसूचित दर पर

कार्यादेशः– कार्यालय ज्ञापांक 313 दिनांक 30.12.2010

86

कार्य पूर्ण करने की नियत तिथिः– दिनांक 28.02.2011

भुगतानः– ₹456000.00

मापी पुस्त की अनुसार कार्य की मात्राः– ₹456000.00

लेखा परीक्षा टिप्पणीः–

(i) प्राक्कलन के साथ संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार उक्त योजना के E/W filling, Brick/Edge/Soling एवं तत्पश्चात PCC कार्य कराये जाने का प्रावधान किया गया था। योजना के प्राक्कलन एवं मापी पुस्त के अनुसार किये गये प्रत्येक item of work की मात्रा निम्नलिखित थीः

कम संख्या	**Item of Work**	**Estamte** के अनुसार कार्य की मात्रा	प्रथम मापी दिनांक 31.01.2011	द्वितीय एवं अंतिम मापी 21.12.11 तक	कुल कार्य मापीपुस्त के अनुसार
(i)	Prov. E/W in filling on Road Emblank all compl. Jole. @184.87/M^3	122Mx3.78x0.60 In flank 2x183Mx0.30x0.30 Total:309.27 M^3	177'x8'9''x1'=43.86 M^3	319'x8'5.5''x2' Flank 2x319'x6''x6''=157.19M^3	201.05M^3
(ii)	Prov. Brick on Edge soling joint filled with local sand @₹328.56/M^2	122Mx2.44M= 297.68M^2	177'x8'9''=143.96 M^2	319'x8'5''=249.67 M^2 Limited to 189.72M^2	393.63M^2limited to 333.66M^2
(iii)	PCC (Proportion not mentioned)@4314.81M^3	183x2.43x0.15M=66.70M^3	325'x8'6''x6''=39.117M^3	319'x8'5''x4'' For leveling 319'x8'5''x½'' Leveling=31.33M^3	70.777M^3
(iv)	Providing Sing Board 1no.@5000each	₹5000.00	4000.00	-	4000.00

(v)	Providing PVC Pipe L.S	₹4000.00	-	-	-
(vi)	1% Contingency	₹4520.00	-	–	-
	Total	₹456500.00	₹228191.00	₹228000.00	₹456191.00

उपर्युक्त तालिका के अनुसार Brick Work का प्रावधन 297.68m^2 हेतु एवं किया गया गया था लेकिन मापी पुस्तिका के अनुसार Brick work 333.68 M^2 में किया गया था। इस प्रकार Brick Work 36M^2 (333.68-297.68) में अधिक किया गया था जो प्राक्कलन के 10% से अधिक था। जिसके लिए Deviation at site Statement नही बनाया गया था।

फलस्वरूप ₹328.56 प्रति M^2 की दर से 36M^2 Brick Work के लिए ₹11828.00 का भुगतान अनियमित रूप से किया गया।

(ii) मापी पुस्त में P.V.C Pipe L.S एवं 1% Contingency का वर्णन नही था इस प्रकार उक्त item of work में अभिकर्त्ता को कुल 8520 (4000+4520) अधिक भुगतान किया गया था। इस संबंध मे जबाब दिया गया कि इस योजना में 10% राशि अभी जमा है, जो असंगत था।

अतः अनियमित रूप से भुगतान की गयी राशि ₹20348(11828+8520) की वसूली संवेदक/जिम्मेवार व्यक्तियो से की जाय।

23. सफाई संयत्रो के कय में अनियमितताऐं (₹6.60 लाख)

निविदा सूचना संख्याः– 03/2009–10 (द्वादश वित्त योजना मद)

निविदा का नामः– द्वादश वित्त आयोग अंतर्गत हैण्ड ट्रॉली डस्टवीन इत्यादि कय के संबंध में।

प्राक्कलित राशिः– ₹660000.00

कार्यालय ओदश की तिथिः– 16.03.10

आपूर्तिकर्त्ता का नामः– सुप्रीम इण्टप्राइजेज, पटना (शिवा कंसलटिंग कंपनी)

लेखा परीक्षा टिप्पणीः–

(i) प्रकाशित निविदा में

(क) कुड़ा ढोने वाला रिक्शा(Garbage रिक्शा) Single pot, 10MM, मोटा छः अदद

(ख) दो पहिया हाथ गाड़ी फाईवर वाला छः अदद

(ग) डस्टवीन स्टैण्ड सहित 75 अदद वर्णित था। परन्तु कार्यालय द्वारा दिनांक 16.03.10 को निर्गत आपूत्ति आदेश 10पीस कुड़ा ढोनेवाला Douple pot, 10 पीस हैण्ड ट्राली 150Lt और डस्टवीन 150Lt 75 पीस हेतु दिया गया था। निविदा तो Single pot रिक्शा के लिए प्रकाशित किया गया था परन्तु आपूर्ति आदेश Douple pot रिक्शा के लिए दिया गया था। तुलनात्मक विवरणी भी Garbage Rickshaw Double Pot हेतु तैयार नही की गयी थी। इसके बाबजूद शिवा कंस्लटेन्सी एण्ड कम्पनी को Douple pot Garbage Rickshaw का आपूर्त्ति आदेश ₹26500.00 की दर से निर्गत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति पर नगर पंचायत द्वारा जबाब दिया गया कि सिंगल एवं डबल पोट का दर समान होने के कारण डबल पोट कय किया गया था। लेकिन उत्तर सही नही था क्योंकि Single pot हेतु शिवा कंसलटेन्सी द्वारा निवेदित दर ₹24500.00 था जबकि Double Pot फर्म से ₹26500.00 की दर से कय किया गया था।

(ii) निविदा (प्रकाशित) के निर्देश के कंडिका –7 में स्पष्ट निर्देश था कि वैट की कटौती कर ही भुगतान किया जाएगा। इसके बाबजूद बिहार वैट अधिनियम 2005 की धारा 40 का पालन नही करते हुए कुल वैट की राशि ₹47179.00 का भुगतान आपूत्तिकर्त्ता को कर दिया गया था।

(iii) विभिन्न वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत सामग्री के संचालन सम्बन्धित प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध था। लेकिन सामग्री की गुणवत्ता (जो निविदा में मॉगी गई थी) का प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही था।

(iv) निविदा (प्रकाशित) के निर्देश के कंडिका 6 में स्पष्ट था कि सभी सामग्रीयों का कम–से–कम 1 वर्ष वांरटी अनिवार्य होगा। परन्तु आपूर्तिकर्त्ता द्वारा मात्र छः माह का वारंटी दिया गया था।

इससे निविदा के शर्त्तो/ निर्देशो का उल्लंघन किया गया था।

(v) विभिन्न सामग्रीयों को स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर सफाई जमादार श्री कृष्ण मुरारी राम को निर्गत कर दिया गया था। परन्तु कोई भी दस्तावेज/पंजी अंकेक्षण में नही लाया गया था जिससे पता चले कि कुल 75 डस्टवीन को कहाँ–कहाँ और किस वार्ड में लगाया गया था।

अतः वैट राशि ₹47179.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति (यों) से की जाय एवं अन्य टिप्पणीयों का स्पष्टीकरण किये जाने तक राशि ₹612821.00 (660000–47179) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

24 सोलर स्ट्रीट लाईट कय में अनियमितताएँ (₹3.46लाख)

योजना संख्या :– 04/09–10

योजना का नामः– वार्ड संख्या 04 तथा 14 में चार–चार अर्थात कुल आठ (8) सोलर स्ट्रीट लाईटों का अधिष्ठापन कार्य

मदः– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0 आर0 जी0 एफ0)

प्राक्कलित राशिः– ₹346400.00

व्यय की राशिः– ₹346400.00 (₹43300X8)

अभिकर्त्ता का नामः– श्री सुनिल कुमार

आपूर्तिकर्त्ता का नामः– सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स सिनेमा रोड डेहरी–ऑन–सोन (रोहतास) टिनः–10240555005

अंकेक्षण आपत्तिः–

(क) संचिका में एकरारनामा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं किसी तकनीकी व्यक्ति द्वारा–प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन संलग्न नही था। केवल आदेश फलक एवं कोटेशन के आधार पर अभिकर्त्ता को भुगतान करना अनियमित था।

(ख) सोलर लाईट का अधिष्ठापन के लिए निविदा स्थानीय समाचार–पत्र में निकाला जाना चाहिए परन्तु अभिलेखों में कही भी इसका उल्लेख नही पाया गया।

(ग) बिहार स्ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड पटना के पत्रांक 1528/07 दिनांक 19.04.2007 के अनुसार स्ट्रीट लाईट 74 W, 74 W penel charge contrar one pol, one luminer with stand one Battery & Battery Box का Unit मूल्य ₹34900.00 (चौतिस हजार नौ सौ) तथा अधिष्ठापन व्यय ₹1000.00 निर्धारित किया गया था। इस संबंध में वित्त विभाग का संकल्प भी धारित है तथा 5 वर्षो तक रख रखाव भी धारित है इसके अनुसान बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेलट्रोन) पटना राज्य कय संगठन नामित किया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्य निविदा दाता/MNES द्वारा प्राधिकृत कम्पनियॉ जो बेलट्रोन की दर से कम दर पर सहमत हो उन्हे भी आदेश दिया जा सकता था। परन्तु मेर्सस सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स, डेहरी–ऑन–सन रोहतास से ₹43300.00 प्रति सोलर लाईट की दर से 8 (आठ) सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन करवाया गया था जो कि बेलट्रोन की दर ₹35900.00 से ₹7400.00 (43300–35900) था।